निबंधित

पत्रांक............
5(स0) अपील (सिस्टम) 05/2015

दिनांक,..................

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

सेवा में,

सर्वश्री सिस्टम एण्ड कंट्रोल
प्रो० मनव्वर आलम
पुत्र - स्व० सलीम अहमद
ग्रा० + पो० - मीरसंडा, थाना फलका
जिला - कटिहार

विषयः— दायर अपीलवाद 05/2015 में पारित आदेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री सिस्टम एण्ड कंट्रोल, कटिहार बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0:—

विश्वासभाजन,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2802 दिनांक 03-07-18

प्रतिलिपिः— प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0:—

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटन

ज्ञापांक............... दिनांक.....................

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटन

निर्णय शाखा
कृपया आज ही निर्गत करें।
प्रशाखा पदाधिकारी
2.7.18

D:\drive g\OLD DATA\drive d\Appealvad 2.doc

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 05/2015

सर्वश्री सिस्टम एण्ड कंट्रोल, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा,

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

23.05.2018

24/6/2018

प्रशगत अपील मेसर्स सिस्टम एण्ड कंट्रल, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 23/डी0 दिनांक 07.01.2015 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में कुल रकवा 3000 वर्गफीट भूमि इलेक्ट्रीकल एलीमेन्ट्स का उद्योग लगाने हेतु कार्यालय पत्रांक 320/डी0 दिनांक 15.05.2010 को आवंटित किया गया था। उक्त भूमि पर 40'X 20' का शेड बनाकर इलेक्ट्रीकल पैनल बनाने के लिए सारे मशीन एवं अन्य व्यवस्था की जा रही है। उद्योग को चालू रखने के लिए स्टील का बक्सा इसीलिए बनाया जा रहा है कि उपलब्ध संसाधनों से वर्तमान में मात्र बक्सा ही बनाया जा सकता है, क्योंकि पैनल का डिजाईन भी बक्सा जैसा ही होता है। अंत में बियाडा के आदेश ज्ञापांक 23/डी0 दिनांक 07.01.2015 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि बियाडा द्वारा सर्वश्री सिस्टम एण्ड कंट्रल, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में कुल रकवा 3000 वर्गफीट भूमि इलेक्ट्रीकल एलीमेन्ट्स का उद्योग लगाने हेतु कार्यालय पत्रांक 320/डी0 दिनांक 15.0510 को आवंटित किया गया था। इकाई द्वारा दिनांक 07.02.13 को अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया।दिनांक 14.05.13 को स्थलीय जाँच प्रतिवेदन में पाया गया कि इकाई में इलेक्ट्रीकलएलीमेन्ट्स का कार्य न कर एल्युनिमियम का बक्सा बनाने का कार्य किया जा रहा है। इकाई को पत्रांक 1037 /डी0 दिनांक 17.07.13 के द्वारा बकाया राशि और गैर निबंधित कार्य करने के संबंधमें नोटिस दिया गया। पुनः पत्रांक 1040 /डी0 दिनांक 18.09.14 के द्वारा एल्युमिनियम का बक्सा बनाने की अनुमति हेतु उन्हें नियमानुसार आवेदन तथा बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया। परन्तु उद्यमी द्वारा जवाब नहीं दिया गया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया गया। दिनांक 21.10.14 के क्षेत्रीय प्रतिवेदन में स्थल पर कच्चा–पक्का शेड निर्मित है एवं इकाई बंद है। अंत में आदेश ज्ञापांक 23/डी0 दिनांक 07.01.2015 द्वारा आवंटित भूखंड को रद्द कर दिया गया।

Osd leater 1

उभय पक्षों के तर्कों को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बियाडा द्वारा सर्वश्री सिस्टम एण्ड कंट्रल, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में कुल रकवा 3000 वर्गफीट भूमि इलेक्ट्रीकल एलीमेन्ट्स का उद्योग लगाने हेतु कार्यालय पत्रांक 320/डी0 दिनांक 15.05.2010 को आवंटित किया गया था। इकाई द्वारा भूमि आवंटन के लम्बी अवधि के बाद भी उद्योग स्थापना के लिए कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, जबकि बियाडा द्वारा उद्योग स्थापना एवं बकाया राशि जमा करने हेतु समय–समय पर नोटिस निर्गत किया गया है। इकाई द्वारा भूमि आवंटन होने की लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त भी उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया जाना भूमि आवंटन आदेश में निहित शर्तों का उल्लंघन है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता भूमि पर अन्य उद्देश्य के लिए मात्र कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। साक्ष्यों के आलोक में इकाई को आवंटित भू–खंड को रद्द करने का कार्यकारी निदेशक, द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक ज्ञापांक 23/डी0 दिनांक 07.01.2015 अनुकूल है।

तद्नुसार प्रश्नगत अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

21/6/2016

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/6/2016

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Osd leater 1